राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2145/2015

बालमुकुन्द शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, सवाई माधोपुर।
3. प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मोरपा, जिला सवाई माधोपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.08.2015
आदेश की दिनांक : 29.11.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि दिनांक 23.05.2014 से 12.06.2014 तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर भुगतान करे। जून, 2014 से अक्टूबर, 2014 तक का वेतन भुगतान मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित किया जावे। दिनांक 01.11.2014 से 17.11.2014 तक का वेतन का भुगतान मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित तथा जनवरी, 2014 से मार्च 2014 तक का बढा हुआ 7 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का भुगतान मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित एवं जुलाई 2012 से अक्टूबर, 2013 तक का बढा हुआ 10 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का भुगतान, दीपावली वर्ष 2014 की बोनस राशि रूपये 3,387/– का भुगतान, अगस्त 2014 के समर्पित अवकाश स्वीकृत कर एक माह के वेतन भत्तों का भुगतान, छठें वेतनमान में वेतन नियतन कर वेतन वृद्धि लाभ आदेश दिनांक 01.01.2007 से एक वेतन वृद्धि देकर छठें वेतनमान में वेतन निर्धारण कर बकाया का भुगतान, दिसम्बर 2013 से रूपये 250/– प्रतिमाह स्टेशनरी भत्ता तथा कैशियर भत्ता रूपये 120/– प्रतिमाह फरवरी, 2007 से किया जावे एवं उक्त समस्त भुगतान राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज भी दिलाया जावे और ब्याज की देय राशि दोषी अधिकारी/कर्मचारी से वसूल किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत है और उसे आदेश दिनांक 30.01.2014 से विधानसभा कंट्रोल रूम में लगाया गया। अपीलार्थी दिनांक 23.05.2014 से 12.06.2014 तक उपार्जित अवकाश पर रहा, परंतु उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। जबकि उसके खाते में पर्याप्त उपार्जित अवकाश शेष है। बाढं नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी लगने के कारण दिनांक 13.06.2014 से दिनांक 20.07.2014 एवं दिनांक 21.07.2014 से 30.09.2014 तक व 13.10.2014 से 17.10.2014 तक अपनी सेवाएं बाढ़ नियंत्रण कक्ष में दी और दिनांक 01.10.2014 से 10.10.2014 तक सेना भर्ती रैली नियंत्रण कक्ष में सेवाएं दी। दिनांक 18.10.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष कार्यग्रहण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परंतु कार्यग्रहण नहीं करने दिया। दीपावली की छुट्टियों के बाद दिनांक 27.10.2014 को कार्यग्रहण करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परंतु फिर भी प्रत्यर्थी विभाग ने कार्यग्रहण नहीं करने दिया और एक माह उपरांत दिनांक 18.11.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 3 ने कार्यग्रहण कराया, परंतु अपीलार्थी को दिनांक 01.11.2014 से दिनांक 17.11.2014 तक का वेतन आज दिनांक तक नहीं दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी का छठा वेतनमान में वेतन नियतन कर उसको वेतन वृद्धि का लाभ आज तक नहीं दिया गया और न ही स्टेशनरी भत्ता तथा कैशियर भत्ता प्रदान किया गया है, जो सेवा नियमों के विपरीत है। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग का नोटिस प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि दिनांक 23.05.2014 से 12.06.2014 तक का उपार्जित अवकाश स्वीकृत कर भुगतान करे। जून, 2014 से अक्टूबर, 2014 तक का वेतन भुगतान मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित किया जावे। दिनांक 01.11.2014 से 17.11.2014 तक का वेतन का भुगतान मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित तथा जनवरी, 2014 से मार्च 2014 तक का बढा हुआ 7 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का भुगतान मय 12 प्रतिशत ब्याज सहित एवं जुलाई 2012 से अक्टूबर, 2013 तक का बढा हुआ 10 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का भुगतान, दीपावली वर्ष 2014 की बोनस राशि रूपये 3,387/– का भुगतान, अगस्त 2014 के समर्पित अवकाश स्वीकृत कर एक माह के वेतन भत्तों का भुगतान, छठें वेतनमान में वेतन नियतन कर वेतन वृद्धि लाभ आदेश दिनांक 01.01.2007 से एक वेतन वृद्धि देकर छठें वेतनमान में वेतन निर्धारण कर बकाया का भुगतान, दिसम्बर 2013 से रूपये 250/– प्रतिमाह स्टेशनरी भत्ता तथा कैशियर भत्ता रूपये 120/– प्रतिमाह फरवरी, 2007 से किया

जावे एवं उक्त समस्त भुगतान राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज भी दिलाया जावे और ब्याज की देय राशि दोषी अधिकारी/कर्मचारी से वसूल किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी स्वयं वरिष्ठ लिपिक रोकडिया है एवं विद्यालय में एक मात्र लिपिक है। जनवरी, 2014 से मार्च, 2014 तक का भुगतान नहीं होना यह दर्शाता है कि अपीलार्थी ने विद्यालय में अपने स्वयं का कार्य भी नहीं किया। अपीलार्थी विद्यालय से फरवरी, 2014 से नवम्बर, 2014 तक गायब रहा। विद्यालय का कार्य संपादित नहीं किया। बोनस नियमित रूप से पूरे वर्ष कार्य करने की एवज में दिया जाता है। जबकि अपीलार्थी का विद्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण वेतन ही आहरित नहीं हो रहा है। उपार्जित अवकाश की एवज में नियमानुसार नकद भुगतान हेतु आवेदन करना होता है और आहरण वितरण अधिकारी स्वीकृत करता है। सेवा पुस्तिका में समर्पित अवकाश का अंकन किया जाता है। तत्पश्चात् बिल बनता है और अपीलार्थी विद्यालय में उपस्थित ही नहीं है तथा समर्पित अवकाश हेतु आवेदन ही नहीं किया। अपीलार्थी ने वर्ष 2013–14 को समर्पित अवकाश हेतु आवेदन किया था, जिसकी स्वीकृति दिनांक 22.01.2014 को कर दी गई थी। अपीलार्थी ज्यादातर समय अन्य कार्यों प्रतिनियुक्ति पर रहता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में बल न होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी दिनांक 23.05.2014 से 12.06.2014 तक उपार्जित अवकाश पर रहा, परंतु उक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया। जबकि उसके खाते में पर्याप्त उपार्जित अवकाश शेष है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष में ड्यूटी लगने के कारण दिनांक 13.06.2014 से दिनांक 20.07.2014 एवं दिनांक 21.07.2014 से 30.09.2014 तक व 13.10.2014 से 17.10.2014 तक अपनी सेवाएं बाढ़ नियंत्रण कक्ष में दी और दिनांक 01.10.2014 से 10.10.2014 तक सेना भर्ती रैली नियंत्रण कक्ष में सेवाएं दी। दिनांक 18.10.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष कार्यग्रहण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परंतु कार्यग्रहण नहीं करने दिया। एक माह उपरांत दिनांक 18.11.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 3 ने कार्यग्रहण कराया, परंतु अपीलार्थी को दिनांक 01.11.2014 से दिनांक 17.11.2014 तक का वेतन आज दिनांक तक नहीं दिया गया। जहां तक अपीलार्थी को उक्त अवधि का वेतन एवं

दीपावली बोनस तथा भत्ते आदि नहीं दिए जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक आर–3ए एवं बी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं रहा एवं सेवाएं भी संतोषजनक नहीं रहीं और प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से हम सहमत हैं कि अपीलार्थी वरिष्ठ लिपिक रोकडिया के पद पर विद्यालय में कार्यरत है, जो विद्यालय में एक ही वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदस्थ कार्मिक है, जिसकी अनुपस्थिति में विद्यालय के समस्त लेखा संबंधी कार्य बाधित हुए हैं, परंतु ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी इस आदेश के जारी होने की दिनांक से आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर समस्त अवकाशों, वेतनमान, भत्तों आदि का सही मूल्यांकन/आंकलन कर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य